

झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2024



सत्यमेव जयते

2024

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2024

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2024-25 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 4833,39,00,000 (चार हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ उनचालीस लाख) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग ।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2024

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
 - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
 - (iii) यह 1ली अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2024-25 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 4833,39,00,000 (चार हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ उनचालीस लाख) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2024 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 4833,39,00,000 (चार हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ उनचालीस लाख) रुपये, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2024 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2025 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची / Schedule					
(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)					
मांग/विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखंड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संघित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय/Voted	प्रभृत/Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Agriculture Division)	राजस्व/Revenue	770901000		770901000
		पूंजी/Capital			
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co- operative Department (Animal Husbandry Division)	राजस्व/Revenue	73200000		73200000
		पूंजी/Capital			
3	भवन निर्माण विभाग Building Construction Department	राजस्व/Revenue	1000000		1000000
		पूंजी/Capital			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Cabinet Secretariat and Co-ordination Division)	राजस्व/Revenue	66000000		66000000
		पूंजी/Capital			
6	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग Cabinet (Election) Department	राजस्व/Revenue	1933682000		1933682000
		पूंजी/Capital			
8	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) Cabinet Secretariat and Vigilance Department (Civil Aviation Division)	राजस्व/Revenue	201900000		201900000
		पूंजी/Capital			

9	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Co-operative Division)	राजस्व/Revenue	30000000		30000000
		पूंजी/Capital			
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	2603570000		2603570000
		पूंजी/Capital			
11	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग Excise and Prohibition Department	राजस्व/Revenue	71018000		71018000
		पूंजी/Capital			
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	17975900		17975900
		पूंजी/Capital			
13	ब्याज संदाय Interest Payment	राजस्व/Revenue		22000000	22000000
		पूंजी/Capital			
16	वित्त अंकेक्षण Finance Audit	राजस्व/Revenue	210000		210000
		पूंजी/Capital			
17	वाणिज्यकर विभाग Commercial Tax Department	राजस्व/Revenue	2000000		2000000
		पूंजी/Capital			
18	खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department	राजस्व/Revenue	1175000		1175000
		पूंजी/Capital			
19	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग Forest, Environment and Climate Change Department	राजस्व/Revenue	37094000		37094000
		पूंजी/Capital			
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	2215075600		2215075600
		पूंजी/Capital			
21	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)	राजस्व/Revenue	8601000		8601000
		पूंजी/Capital			

22	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)	राजस्व/Revenue	4597527900		4946693500
		पूंजी/Capital	349165600		
23	उद्योग विभाग Industries Department	राजस्व/Revenue	220119000		220119000
		पूंजी/Capital			
25	कोषागार एवं सांस्थिक वित्त Treasury & Institutional Finance	राजस्व/Revenue	160000		160000
		पूंजी/Capital			
26	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग Labour, Employment, Training and Skill Development Department	राजस्व/Revenue	720930000		720930000
		पूंजी/Capital			
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	154730000		154730000
		पूंजी/Capital			
28	झारखण्ड उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue		28800000	28800000
		पूंजी/Capital			
29	खान एवं भूतत्व विभाग Mines and Geology Department	राजस्व/Revenue	1600000		1600000
		पूंजी/Capital			
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Minorities Welfare Division)	राजस्व/Revenue			300000000
		पूंजी/Capital	300000000		
32	विधान सभा Legislative Assembly	राजस्व/Revenue	48520000	700000	49220000
		पूंजी/Capital			
33	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Personnel and Administrative Reforms Division)	राजस्व/Revenue	7531000		7531000
		पूंजी/Capital			

34	झारखण्ड लोक सेवा आयोग Jharkhand Public Service Commission	राजस्व/Revenue		2000000	2000000
		पूंजी/Capital			
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	7700000		7700000
		पूंजी/Capital			
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	147607000		147609000
		पूंजी/Capital	2000		
37	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha Department (Rajbhasha Division)	राजस्व/Revenue	289000		289000
		पूंजी/Capital			
39	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) Home, Jail and Disaster Management Department (Disaster Management Division)	राजस्व/Revenue	3202200000		3202200000
		पूंजी/Capital			
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) Revenue, Registration and Land Reforms Department (Revenue and Land Reforms Division)	राजस्व/Revenue			6136000
		पूंजी/Capital	6136000		
42	ग्रामीण विकास विभाग Rural Development Department	राजस्व/Revenue	140001000		140001000
		पूंजी/Capital			
44	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग School Education and Literacy Department	राजस्व/Revenue	800000		800000
		पूंजी/Capital			

45	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग Information Technology and e-Governance Department	राजस्व/Revenue	20000000		20000000
		पूंजी/Capital			
47	परिवहन विभाग Transport Department	राजस्व/Revenue	300000000		300000000
		पूंजी/Capital			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) Urban Development and Housing Department (Urban Development Division)	राजस्व/Revenue	711788000		711788000
		पूंजी/Capital			
49	जल संसाधन विभाग Water Resources Department	राजस्व/Revenue	3845000		253845000
		पूंजी/Capital	250000000		
51	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare Department (Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Division)	राजस्व/Revenue	4295584000		4295584000
		पूंजी/Capital			
52	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Sports and Youth Affairs Division)	राजस्व/Revenue	500000		500000
		पूंजी/Capital			
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Dairy Division)	राजस्व/Revenue	201568000		201568000
		पूंजी/Capital			

56	पंचायती राज विभाग Panchayati Raj Department	राजस्व/Revenue	7565031000		7565031000
		पूंजी/Capital			
57	नगर विकास एवं आवास विभाग (आवास प्रभाग) Urban Development and Housing Department (Housing Division)	राजस्व/Revenue	100000		100000
		पूंजी/Capital			
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग) School Education and Literacy Department (Secondary Education Division)	राजस्व/Revenue	5848592000		5848592000
		पूंजी/Capital			
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग Women, Child Development and Social Security Department	राजस्व/Revenue	11144971000		11144971000
		पूंजी/Capital			
	योग /Total	राजस्व/Revenue	47375096400	53500000	47428596400
		पूंजी/Capital	905303600		905303600
	महायोग / Grand Total		48280400000	53500000	48333900000

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-205 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायेगी ।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 4833,39,00,000 (चार हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ उनचालीस लाख) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्कीसवीं मार्च, 2025 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके ।

(डॉ० रामेश्वर उराँव)

भार-साधक सदस्य ।